# अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
## पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 49/2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

गजानन्द कूलवाल पुत्र स्व. श्री मूलचन्द कूलवाल जाति महाजन निवासी 180 प्रतापनगर, खातीपुरा रोड, वशिष्ठ मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर राजस्थान हाल निवासी सी–117 अंगदमार्ग, हनुमान नगर, खातीपुरा, जयपुर, राजस्थान ।

अपीलार्थी

बनाम

1. मनोज कूलवाल पुत्र. श्री गजानन्द कूलवाल निवासी 180 प्रतापनगर, खातीपुरा रोड, वशिष्ठ मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान।
2. विष्णु कूलवाल पुत्र श्री गजानन्द कूलवाल निवासी सी–117 अंगदमार्ग, हनुमान नगर,, खातीपुरा, जयपुर, राजस्थान ।
3. श्रीमती चेतना कूलवाल पत्नी श्री मनोज कूलवाल निवासी 170 प्रतापनगर, खातीपुरा रोड, वशिष्ठ मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा–16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध निर्णय दिनांक 14.10.2021 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम प्रकरण संख्या 43/2021 ब–उनवानी गजानन्द कूलवाल बनाम मनोज कूलवाल व अन्य

उपस्थित :–

1. अपीलार्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3 मय प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय दिनांक **18.03.2024**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के प्रकरण संख्या 43/2021 ब–उनवानी गजानन्द कूलवाल बनाम मनोज कूलवाल व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.10.2021 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी 1 व 3 स्वयं मय प्रतिनिधि के उपस्थित है। प्रत्यर्थी संख्या 2 उपस्थित नही है। जिससे उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

4. अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अपीलार्थी के पुत्र व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 पुत्रवधु है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 3 का व्यवहार पहले से ही अपीलार्थी के प्रति अत्यन्त क्रूर एवं प्रताड़ना पूर्ण रहा है। अपीलार्थी अत्यधिक वृद्व एवं वरिष्ठ नागरिक है। अपीलार्थी के पास आय का कोई पुख्ता स्त्रोत नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 व 3 की शारीरिक व मानसिक यातनाओं से परेशान होकर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष धारा 4, 5, 9 व 21 माता पिता एंव वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भरण पोषण राशि दिलाने व मकान से बेदखल करने का अनुतोष चाहा गया था, किन्तु अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2021 से भरण पोषण के रूप में 5000–5000 रूपये का अनुतोष ही स्वीकार किया गया। प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थी के मकान से बेदखल किये जाने का आदेश नहीं दिया गया। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष आदेश को संशोधित किये जाने हेतु दिनांक 28.10.221 को प्रार्थना पत्र व दिनांक 07.07.2022 को एक पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या 43/2021 पेश किया गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.08.2023 को पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र को विड्रो किये जाने का पेश किया गया जो दिनांक 06.09.2023 को स्वीकार किया गया। अतः अधीनस्थ अधिकरण से पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र विड्रो की स्वीकृति दिनांक 06.09.2023 के आधार पर अपील अन्दर मियाद शुमार किया जाकर न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करना आवश्यक है। अपील स्वीकार कर अपीलार्थी के मकान नम्बर 180 प्रतापनगर, खातीपुरा रोड, वशिष्ठ मार्ग वैशाली नगर, जयपुर से रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 3 को बेदखल किये जाने का आदेश फरमावें, ताकि अपीलार्थी अपना शेष जीवन शान्ति से गुजार सके।

5. प्रत्यर्थी 1 व 3 के प्रतिनिधि ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये कथन किया कि अपील विलम्ब से पेश की गई है। धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है । माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम के तहत अपीलाधीन आदेश की अपील प्रस्तुत करने के लिए अधिनियम की धारा 16 के तहत 60 दिन की समयावधि है तथा अपीलान्ट ने अपील दो साल से अधिक समय मे पेश की है धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी की बाबत प्रत्येक दिन वजह बताना आवश्यक है। अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किये जाने बाबत कोई माकूल या उचित कारण दर्ज नहीं किया। इसलिए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किये जाने का उचित कारण नहीं है। इसलिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष विपक्षीगण के विरूद्व दिनांक 06.07.2021 को परिवाद प्रस्तुत किया जिस परिवाद में प्रत्यर्थीगण की तलबी हेतु दिनांक 12.08.2021 तारीख पेशी नियत की गई । तदुपरान्त दिनांक 26.08.2021 को उत्तरदाता की तामील हेतु पत्रावली नियत की गई। दिनांक 09.09.2021 तारीख पेशी वास्ते तामील नियत की गई। तत्पश्चात दिनांक 30.09.2021 को अधीनस्थ अधिकरण ने आदेश जारी किया कि तलबी जारी हो, उस दिन प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से प्रतिनिधि बाबूलाल चौधरी अधीनस्थ अधिकरण में उपस्थित हुए तथा अधीनस्थ अधिकरण ने अन्य विपक्षीगण की तामील नहीं करवाई तथा दिनांक 30.09.2021 को मौखिक रूप से अपीलार्थी को सुन कर दिनांक 14.10.2021 को प्रश्नागत आदेश जारी कर दिया जो बिलकुल गलत आधारो पर है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। लेकिन उक्त आदेश को मोडीफाई करने हेतु अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील भी निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रावधान है कि माता पिता या वरिष्ठ नागरिक जो अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पत्ति से स्वयं

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

का भरण पोषण करने में असमर्थ हो वहीं भरण पोषण हेतु परिवाद प्रस्तुत कर सकता है। जबकि परिवादी की आय बहुत अधिक है तथा परिवादी भारतीय जीवन बीमा एजेन्ट के रूप में कार्य करता है तथा किराया राशि परिवादी को ही मिलती है । फिक्स डिपोजिट पूंजी भी परिवादी के पास है व अन्य आय के साधन है जिन तथ्यो को छिपा कर पारिवादी ने मान्य अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष परिवाद पेश किया है जहां तक विपक्षी संख्या 1 को जानकारी है परिवादी के पास आय के काफी स्त्रोत है। विपक्षी संख्या 2 व उसका परिवार प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3 से दुश्मनी रखते है तथा हर हाल में प्रत्यर्थी संख्या 2 प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3 को बर्बाद करने पर उतारू है और इसी परिपेक्ष्य में परिवादी के साथ मिलीभगत कर गलत तथ्यों पर परिवाद प्रस्तुत किया है । प्रत्यर्थी 1 व 3 द्वारा कभी अपीलार्थी को परेशान नहीं किया गया, ना ही कभी गाली गलौच व मारपीट की गई । अपीलार्थी, प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3 से द्वेषता रखते है जिस कारण प्रार्थीगण ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील पोषणीय नहीं होने से सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. अपीलार्थीगण ने यह अपील प्रस्तुत कर स्यवं के स्वामित्व की सम्पत्ति मकान नम्बर 180, प्रतापनगर, खातीपुरा रोड, वशिष्ठ मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर से प्रत्यर्थीगण को बेदखली करने का अनुतोष चाहा है। विवादित सम्पत्ति अपीलार्थी के स्वामित्व की है । माता पिता या वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 की धारा 20 (5) है जो इस प्रकार है–" किसी वरिष्ठ नागरिक के जीवन या सम्पत्ति के किसी खतरे की दशा में जिला मजिस्ट्रेट या सम्यकरूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करने का कर्तव्य होगा। " अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत माता पिता या वरिष्ठ नागरिक की मांग पर पुत्र व पुत्रवधु को मकान से बेदखल करने का आदेश दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में निर्णय पारित किये गये है। प्रत्यर्थीगण को उक्त सम्पत्ति से बेदखल किये जाने का आदेश दिया जाना उचित है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

8. अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2021 को भरण पोषण ी हद तक यथावत रखते हुये उसको मोडीफाइड किया जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3 को अपीलार्थी के स्वामित्व की सम्पति मकान नम्बर 180 प्रतापनगर, खातीपुरा रोड, वशिष्ठ मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर से बेदखल करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3 को अपीलार्थी से गाली गलौच व मारपीट नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है ।

9. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल होन।

10. निर्णय आज दिनांक 18.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner